

**महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम**  
**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II), KERALA**  
**THIRUVANANTHAPURAM**

सं.लेप-II/प्रशा.वि.श.प्र./14-1/2025-26/

दिनांक: 21.04.2025

No. Au.II/Admn D.F.P/14-1/2025-26/

**कार्यालय आदेश सं./OFFICE ORDER No. 14**

**विषय:** वित्तीय शक्तियों का पुनःप्रत्यायोजन – बाबत

**Sub:** Re-delegation of Financial Powers – reg.

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम, 2024 के नियम 12(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेश (प्रशासनिक) खंड II के मैन्युअल में निहित प्रावधानों के अनुसार, महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) केरल को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन और एएमजी I), मुख्य कार्यालय, तिरुवनंतपुरम को निम्नलिखित के अधीन एतद्वारा पुनः प्रत्यायोजित की जाती हैं: -

In exercise of the powers conferred under Rule 12(3) of the Delegation of Financial Power Rules, 2024 and in accordance with the provisions contained in Comptroller and Auditor General's Manual of Standing Orders (Administrative), Volume II, the financial powers delegated to the Accountant General (Audit II) Kerala is hereby re-delegated to the Senior Deputy Accountant General (Administration & AMG I), Main Office, Thiruvananthapuram subject to the following: -

1. मांगपत्र/आपूर्ति आदेश/कार्य आदेश या अनुबंध करारों के माध्यम से निष्पादित वस्तुओं के प्रापण, सेवाओं और सिविल कार्यों के लिए, उपरोक्त समूह अधिकारी को प्रदत्त वित्तीय शक्तियां, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा परिपत्र संख्या 34/2024 दिनांक 18.10.2024 के माध्यम से जारी भा.लेप. व ले विभाग में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में विनिर्दिष्ट शक्तियों तक सीमित होंगी।

For procurement of goods, services and civil works executed through indents/supply order/work order or contract agreements, the financial powers to the above group officer will be limited to the powers specified in the delegation of financial powers in IA & AD issued by C & AG vide Circular No.34/2024 dated 18.10.2024.

2. समूह अधिकारी वित्तीय शक्तियों के प्रयोग में सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली, 2024 में अंतर्विष्ट सामान्य प्रावधानों का पालन करेंगे।

The Group Officer will follow general provisions contained in the General Financial Rules 2017 and delegation of Financial Powers Rules, 2024 in exercise of the financial powers.

3. समूह अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पुनः प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), केरल के कार्यालय के लिए उपलब्ध बजट आवंटन के अंतर्गत हो।

The Group Officer will ensure that the exercise of the re-delegated financial powers is within the budget allotment available for the Office of the Accountant General (Audit-II), Kerala.

4. शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा इस आदेश के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले की जाएगी तथा उसे नवीनीकृत एवं संशोधित किया जाएगा।

The delegation of powers will be reviewed at the end of three years from the date of issue of this order or earlier and renewed and revised.



महालेखाकार / Accountant General

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रति निम्नलिखितों को अग्रेषित:

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. म ले के सचिव / Secretary to AG
2. व उप म ले (प्रशासन एवं ए एम जी I)/ Sr. DAG (Admn. & AMG I)
3. उप म ले (ए एम जी II)/ DAG (AMG II)
4. व उप म ले (ए एम जी III), शा. का. तृशूर  
Sr. DAG (AMG-III), Branch office, Thrissur
5. व लेपअ / सामान्य अनुभाग / Sr.AO/General Section
6. व.लेप.अ. /प्रशासन (लेप I) / Sr.AO/Admn.(Audit-I)
7. व. लेप.अ/बिल्स, हक, रोकड / Sr.AO (Bills/Entt/Cash)
8. व. लेप.अ(का.स्था), म ले (लेप-I) का कार्यालय, शा. का. तृशूर  
Sr.AO(OE), O/o AG (Audit-I), Branch office, Thrissur
9. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, म ले (ले व ह) का कार्यालय, केरल  
Pay and Accounts Officer, O/o the AG(A&E), Kerala